बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक— मु०अ०—4 (मु०)—3054—04—58 / 2020 ५ ५ ६ ० प्रेषक,

/पटना, दिनांक-05-12-262-

संजय दूबे, भा०प्र०से० अपर सचिव।

सेवा में.

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

बिहार, पटना।

विषय:---

वित्तीय वर्ष 2020—21 में मांग संख्या—37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054—सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के सबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या—37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054—सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है :—

		Ţ	- 9 HAIR						
क्र0 कार्य प्रमंडल	प्रोजेक्ट आई0 डी0	प्रखंड	ণথ কা দা দ	लम्बाई (कि0मी०)	मूल कार्य की राशि (लाख में)	पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि (लाख में)	आकस्मिकता की राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)	प्रति कि0मी लागत राशि (लाख में)
1 2	3	4	<u> </u>				i		-
D			C11 70 C	6	7	8	9	10	44
1 Biharsharif	10200612018	Bind	SH- 78 Suratpur Road to	0.0					11
 			Iswarchak Village	0.975	43.065	10.420	3.66000	57.14500	44.17
Total				1					44.17
 कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल बिहारणनी 				0.975	1	ſ		57.145	

- 2. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, बिहारशरीफ योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं / विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होगें।
- 3. बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति--2018 के तहत MBD आधारित ई--निविदा के माध्यम से आमंत्रित कार्य का सम्पादन संबंधित कार्य कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
- इन योजना के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग पटना का अनुमोदन संचिका संख्या— मु0आ0—4 (मु0)—3054—04—58/2020 में दिनांक 02.12.2020 को प्राप्त है।
- 5. सारणी में अंकित उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक— को संचिका संख्या—मु०अ०—4 (मु०)—3054—04—58/2020 में अनुमोदन प्राप्त है।
- 6. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी०पी०आर० पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
- योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

GOLANON

- 8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
- 9. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो।यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरांत ही योजना कार्यान्वित की जाय।
- 10. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्रांडा के निर्धारित प्रावधान / प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की
- 11. वित्त विभाग के संकल्प सं0-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
- 12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्निविनियोजित की गयी है, अन्य मद में
- 13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित
- 14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन् प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से
- 15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत् आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रुप से किया जायेगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएगे।
- 16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या—मु०अ०—4 (मु०)—3054 04—58/2020 के

विश्वासमाजन जारीक्ट्र (संजय दूवे)

पत्रांक- मु०अ०-4 (मु०)-3054-04-58/2020 U 5 हर/पटना, दिनांक-05-12-2-8 प्रतिलिपि—कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

- Spyren पत्रांक— मु०अ०—4 (मु०)—3054—04—58/2020 ५ ५ б छ / पटना, दिनांक-६५ — (2 — 2.42.4) प्रतिलिपि—माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना / जिला पदाधिकारी, नालन्दा / उप विकास आयुक्त, नालन्दा / अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता—1 एवं 4, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग / अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, नालन्दा / कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई०टी० नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड

(NIL) XIGH

अपर सचिव